**14. साधारण मुख्तारनामा**

इस विलेख द्वारा यह सर्वविदित हो कि मैं .................... .................... पुत्र .................... .................... निवासी ..................... एतद्द्वारा इस साधारण मुख्तारनामे का निष्पादन करता हूँ, मेरे सत्य और विधिपूर्ण साधारण एटार्नी के रूप में श्री .................... .................... पुत्र ..................... .................... निवासी .................... को बनाता हूँ, नियुक्त करता हूँ तथा नाम निर्देशित करता हूँ, .................... में खसरा सं. .................... के भाग के लगभग .................... वर्ग गज का क्षेत्रफल रखने वाली मेरी सम्पत्ति के बारे में मेरे नाम से या मेरे निमित्त मेरे लिए विधिपूर्ण कार्यों, विलेखों एवम् बातों में कुछ भी करने के लिए उसको प्राधिकृत कर देता है।

यतः विभिन्न प्राधिकरणों /प्राधिकारियों या किसी भी अन्य सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने में असमर्थ होने के कारण तथा उपर्युक्त सम्पत्ति के विक्रय का सुकर बनाने के लिए तथा कतिपय बातों को करने के लिए मैं मेरी ओर से एवम् मेरे नाम से निम्नलिखित सभी विधिपूर्ण कार्यों, विलेखों एवम् बातों को या उनमें से किसी को करने के लिए श्री ..................... .................... को प्राधिकृत करता हूँ, अर्थात् -

1. किसी भी न्यायालय में किसी भी विभाग में उपर्युक्त सम्पत्ति की बाबत कोई प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए किसी भी शपथपत्र, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र घोषणा दाखिल करने के लिए या किसी कोई भी कथन करने के लिए।
2. कथित सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी मामलों का प्रबन्ध करना, उसको नियन्त्रित करना, पर्यवेक्षण करना तथा संचालित करने के लिए।
3. कथित सम्पत्ति के संगत रजिस्ट्रीकरण कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के ..................... के कार्यालय में हाजिर होना, सभी कागजातों पर हस्ताक्षर करना तथा इस संदर्भ में सभी मुद्दों का अनुसरण करना।
4. कथित सम्पत्ति के एन. ओ. सी. के लिए आवेदन करना कागजातों पर हस्ताक्षर करना तथा मेरी ओर से अनुज्ञा प्राप्त करना।
5. कथित सम्पत्ति के विक्रय के लिए एक करार में भाग लेना, विक्रय प्रतिफल प्राप्त करना तथा उसकी उचित रसीद प्राप्त करना।
6. क्रेता के पक्ष में एक उचित एवम् नियमित विक्रय विलेख का निष्पादन करना। विक्रय प्रतिफल को स्वीकृत करना तथा मेरी ओर से उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण के लिए कागजातों को प्रस्तुत करना।
7. अन्य सभी बातों, उन विलेखों को भी करना तथा निष्पादित करना जिन्हें उन खण्डों द्वारा नहीं आच्छादित किया जाता है जिन्हें कथित प्राधिकारी उपर्युक्त सम्पत्ति की बाबत उचित तथा समीचीन सोचता है।
8. अग्रिम एटर्नी को नियुक्त करना और कथित सम्पत्ति के संगत कतिपय अधिनियमों के अनुपालन के लिए प्लीडर अधिवक्ता को नियोजित करना।
9. एटर्नी की यह शक्ति अविखण्डनीय है।
10. जल एवम विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करना, सुसंगत कागजातों पर हस्ताक्षर करना तथा मेरी ओर से इस बाबत सभी कर्तव्यों का अनुपालन करना।
11. कथित सम्पत्ति की का निर्माण करने या पुनः निर्माण करने के लिए, भवन योजना पर हस्ताक्षर करना; योजना को मंजूर करवाना तथा कथित सम्पत्ति के निर्माण की बाबत मेरी ओर से सभी कर्तव्यों का अनुपालन करना।
12. साधारणतौर, एटर्नी द्वारा कारित किये गये कार्य मेरे द्वारा प्रमाणिक तौर पर किया हुआ समझा जायेगा।

मैं कथित सम्पत्ति के बारे में मेरे कथित एटर्नी द्वारा विधिपूर्ण तरीके से किये गये या करवाये गये सभी कार्यों, विलेखों एवम् बातों का अनुसमर्थन करने एवम् पुष्टि करने के लिए वचनबन्ध देता हूँ तो स्वयं मेरे द्वारा किये गये कार्यों, विलेखों एवम बातों के रूप में अर्थान्वयन किया जायेगा मानों में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होता और सभी परिपेक्ष्यों में मुझ पर आबद्धकारी होगा जिसके साक्ष्य में, मैंने निम्नलिखित साक्षियों की हाजिरी में तारीख को इस विलेख में यहाँ पर हस्ताक्षर किया है।

साक्षीगण निष्पादिती

1....................

2....................